प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - छयासठ

[27/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 5756]

(b) The provision of clause (a) shall be deemed to have come into force from 19th October, 2010.

(1-j) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government nurse other than a Government nurse mentioned in sub-rule (1-e), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years :

Provided that a Government nurse other than a Government nurse mentioned in sub-rule (1-e) whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Explanation.- For the purpose of this clause, a "Government nurse" means a Government Servant by whatever designation called, appointed to a post mentioned under College of Nursing, Indore in Schedule-I of the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1987 and under Schedule-I of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of the Health Services) Class-III Nursing Services Recruitment Rules, 1989, for the purpose of nursing in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment, provided he holds a lien on a nursing post of an institution under the Medical Education Department.]

(2) [1][(a) A Government servant may, in the public interest, be retired at any time after he has completed 20 years qualifying service, or he attains the age of fifty years, whichever is earlier, without assigning any reason by giving him a notice in writing.]

(b) The period of such notice shall be three months :

Provided that such Government servant may be retired forthwith and on such retirement the Government servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before his retirement or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of three months.]

F.R. 56 (aa)	Deleted.
L.G.O. 1.	Deleted
L.G.O. 2.	Deleted (vide M.P.F.D. No. 1932-305-IV-R-I, dated 5-10-62)
F.R. 56 (b)	Deleted
G.I.O.	Deleted
S.S.O.	Deleted
A.G.I. 1 to 6	Deleted

1. Substituted vide M.P. Act No. 19 of 2000 with effect from 1-1-2000.

अवर सचिव अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)

मू.नि. 56. अधिवार्षिकी आयु.– (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (1–क), (1–ख), (1–ग), (1–घ), (1–ङ), (1–च), (1–छ), (1–ज), (1–झ) एवं (1–ञ) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (1–क), (1–ख), (1–ग), (1–घ), (1–ङ), (1–च), (1–छ), (1–ज), (1–झ) एवं (1–ञ) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में, सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(1–क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (1–छ), (1–ज) एवं (1–झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में, सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (1–छ), (1–ज) एवं (1–झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न कोई शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

स्पष्टीकरण.– इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, उपनियम (1–छ), (1–ज) एवं (1–झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई है और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा, किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो, बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(1–ख) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु कोई चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(1–ग) (क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 की अनुसूची–एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 की अनुसूची–एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(ख) खण्ड (क) में अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की, की गई वृद्धि दिनांक 31